भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1058
02.12.2024 को उत्तर के लिए

ईएसए से गांवों को बाहर निकालना

1058. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गोवा राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसए) से गांवों को बाहर रखे जाने को न्यायोचित ठहराने के लिए उद्धृत कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अधिसूचना में उल्लिखित गांवों को बनाए रखने अथवा पहले से अधिसूचित गांवों से गांवों को बाहर रखने के संबंध में समिति का क्या अधिदेश है;

(ग) क्या इन संवेदनशील क्षेत्रों में खनन गतिविधि की अनुमति देने के लिए गांवों को बाहर रखने के लिए की गई गतिविधियां शुरू की गई हैं;

(घ) क्यूपेम में मंगल गांव, जो सभी मानदंडों को पूरा करता है, को ईएसए के रूप में अभिज्ञात नहीं किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत गोवा राज्य में पहचान किए गए जल निकायों का स्थान-वार केएमएल/केएम जेड फाइलों सहित अंतिम रिपोर्ट की प्रति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ग) गोवा राज्य सरकार ने दिनांक 30.09.2024 के अपने प्रस्ताव के माध्यम से पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर जारी मसौदा अधिसूचना द्वारा 226.16 वर्ग किमी क्षेत्रफल वाले 21 गांवों को बाहर रखते हुए 87 गांवों में 1247.72 वर्ग किमी क्षेत्र को पश्चिमी घाट पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के हिस्से के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव किया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिन गांवों को सूची से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है, वे गोवा सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा

नहीं करते हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने लोगों की आजीविका, रोजगार और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए गांवों को इससे बाहर करने की मांग की है। मंत्रालय ने 31 जुलाई, 2024 को पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर मसौदा अधिसूचना को फिर से प्रकाशित किया है, जिसके संबंध में 29 सितंबर, 2024 तक राज्य सरकारों सहित हितधारकों द्वारा दावे/आपत्तियां प्रस्तुत की जानी थीं।

(घ) मसौदा अधिसूचना को अंतिम रूप देते समय संबंधित राज्य सरकारों सहित हितधारकों द्वारा सुझाए गए मुद्दों के समाधान के लिए, मंत्रालय ने गांवों को शामिल करने/छोड़ने से संबंधित मुद्दों सहित छह राज्य सरकारों के सुझावों की समग्र रूप से जांच करने और आपदा संभावित प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण पहलुओं और क्षेत्र के अधिकारों, विशेषाधिकारों, जरूरतों और विकासात्मक आकांक्षाओं को ध्यान में रखने और अपनी अनुशंसाएं देने के लिए एक समिति गठित की है।

(ङ) गोवा राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचना के लिए 44 आर्द्रभूमियों को अभिज्ञात किया गया है, जिनमें से अब तक 15 को अधिसूचित किया जा चुका है।

******